दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 2730

दिनांक 19/...

पत्रांक : सम्बद्धता/2018/(7)/1408

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों की दूसरी यूनिट की अस्थाई सम्बद्धता 2018-20 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने प्राचार्य का अनुमोदन वांछित है।, प्रबन्ध समिति अनुमोदन हेतु है।, अद्यतन परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र वांछित है। समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या में इंगित कमियों एवं महाविद्यालय द्वारा अन्य मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, राष्ट्र शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मानकानुसार संकाय सदस्यों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा करा लिए जाने के आधर पर शर्तों के अधीन तथा के आदेश दिनांक 22.05.2016 एवं 30.05.2016 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के विरुद्ध विश्व योजित स्पेशल अपील सं0 180/2017 के एवं अन्य समतुल्य महाविद्यालयों के सम्बन्ध में योजित अन्य स्पेशल अपील में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन सि महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में दूसरी यूनिट (50 सीट) 2018-2020 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0ए पाठ्यक्रम में 50 सीटों की दूसरी यूनिट की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है--

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा- प्राचार्य का अनुमोदन वांछित है।, प्रबन्ध समिति अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।, अद्यतन परीक्षाफल एवं – प्रमाणपत्र वांछित है। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। क की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उप जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या--2851/सत्तर--2--2003--16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-- 2--2007--2(494)/2 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर--2--2008-- 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा--निर्देशों एवं इ समय--समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन शासनादेश संख्या 522/सत्तर--2--2013--2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की ग वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्रा से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय--समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यव सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्र नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुस वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016--17 एवं 2017--18 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी।
15. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय--समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2018/..................तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग--6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव का
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

21/12/2018 सि.

प्रबन्धक/सचिव

...नी देवी एजूकेशनल सो...